7

संख्या–1445(1)/नौ–9–2012–376ज/11

प्रेषक,

आत्मा राम वर्मा,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

22461
संलग्न

सेवा में,

1. निदेशक
स्थानीय निकाय
उ0 प्र0 लखनऊ

2. समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम,उ0प्र0

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनॉक 14 अगस्त, 2012

विषयः उ0 प्र0 नगर निगम(प्रयोक्ता प्रभार का उद्ग्रहण तथा उसकी प्रकिया एवं कियान्वयन का विनियमन)नियमावली 2012 का प्रचार एवं प्रसार कराये जाने के संबध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिसूचना संख्या–1444/ नौ–9–2012–376ज/11 दिनांक 08.08.12 की हिन्दी एवं अग्रेजी प्रति संलग्न कर प्रेषित करतें हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत अधिसूचना का आपत्ति एवं सुझाव मांगे जाने हेतु व्यापक प्रचार एवं प्रसार कराने का कष्ट करे ।

संलग्नक – यथोक्त।

pr upload करें

भवदीय,

(आत्मा राम वर्मा)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि संबधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को प्रश्नगत अधिसूचना की प्रति संलग्न कर उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रषित।

संलग्नक–यथोक्त

आज्ञा से,

(आत्मा राम वर्मा)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
नगर विकास अनुभाग–9
संख्या–1444 / नौ–9–2012–376ज / 11
लखनऊ : दिनांक 08 अगस्त, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन्1959) की धारा 573–क और धारा 540 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल प्रयोक्ता प्रभार का उद्ग्रहण तथा उसकी प्रक्रिया एवं कियान्वयन का विनियमन करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रस्तावित नियमावली के सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव यदि कोई हों, लिखित रूप में प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सम्बोधित करके प्रेषित की जानी चाहिये। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से एक मास के भीतर प्राप्त होंगे।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (प्रयोक्ता प्रभार का उद्ग्रहण तथा उसकी प्रक्रिया एवं कियान्वयन का विनियमन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम(प्रयोक्ता प्रभार का उद्ग्रहण तथा उसकी प्रक्रिया एवं कियान्वयन का विनियमन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।
   (2) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों पर लागू होगी।
   (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) जब तक विषय या सन्दर्भ से कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–
   (क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।
   (ख) ''उपभोक्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या निवासी से है जो नगर निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं का उपयोग करता है।
   (ग) ''सेवायें'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 573–क के अधीन नगर निगम द्वारा प्रदत्त निर्माण कार्यों, सुविधाओं और सुख–सुविधाओं से है।

(घ) "प्रयोक्ता प्रभारों" का तात्पर्य नगर निगम द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दी गयी विनिर्दिष्ट सेवाओं या प्रदान की गयी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिये उद्गृहीत प्रभारों से है।

(2) इस नियमावली में अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये अधिनियम में समनुदेशित हैं।

प्रयोक्ता प्रभार के उद्ग्रहण का तर्काधार

3. (क) दक्ष सेवायें प्रदान करना और सेवाओं को बनाये रखने के लिये उनकी लागत की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करना।

(ख) सेवाओं के उपयोग में मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना और अपव्यय का परिवर्जन करना।

प्रयोक्ता प्रभारों का लागू होना

4. प्रयोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण अधिनियम की धारा 573–क के अधीन उल्लिखित सेवाओं या उससे सम्बन्धित किन्हीं अन्य सेवाओं पर किया जायेगा।

प्रयोक्ता प्रभारों का नियतन और वसूली

5. (1) प्रयोक्ता प्रभारों की गणना सेवाएं उपलब्ध कराने में अन्तर्वलित अनुमानित कुल लागत की वसूली करने की दृष्टि से की जाएगी।

(2) प्रयोक्ता प्रभार की दरें नगर निगम द्वारा समय–समय पर नियत की जा सकेंगी।

(3) प्रयोक्ता प्रभार नियत करते समय लागत वसूली की व्यावहारिकता, जो प्रदत्त सेवाओं के प्रकार, गुणवत्ता व मात्रा के अनुसार भिन्न–भिन्न हो सकती है, को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

(4) यदि आवश्यक हो, नगर निगम प्रयोक्ता प्रभारों को औसत आधार पर नियत करने के लिये सुख–सुविधाओं और सेवाओं को लाभप्रद व गैर लागत वाली वसूली योग्य श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकेंगे ताकि संचित सेवाओं पर हुए कुल लागत की वसूली की जा सके।

अभिलेखों, लेखाओं, नक्शों और योजनाओं इत्यादि का अनुरक्षण

6. (1) प्रयोक्ता प्रभारों के उदग्रहण और संग्रहण के निर्धारण के सम्बन्ध में समस्त अभिलेखों, लेखाओं, नक्शों, योजनाओं को दस्तावेज एवं इलेक्ट्रानिक दोनों रूप में तैयार एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को नगर निगम के सम्बन्धित परिक्षेत्र कार्यालय के साथ ही प्रधान कार्यालय में रखा जायेगा।

(3) नगर आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिलेखों, लेखाओं, नक्शों, योजनाओं, रजिस्टरों का अभिरक्षक होगा।

प्रयोक्ता प्रभारों की वसूली

7. (1) प्रभारों की वसूली अधिनियम के अध्याय (इक्कीस) और धारा 573–क के उपबन्धों के अधीन की जा सकेगी।

(2) इस नियमावली के अधीन प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में संग्रहीत धनराशि से अन्यून धनराशि उन सेवाओं को प्रदान करने पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए सुरक्षित रखी जायेगी।

प्रयोक्ता प्रभारों के संदाय के लिये दायित्व 8. उपभोक्ता द्वारा नियत समय के भीतर प्रयोक्ता प्रभारों का संदाय बाध्यकर होगा।

प्रयोक्ता प्रभारों का समेकन 9. प्रयोक्ता प्रभारों के निर्धारण या उद्ग्रहण या संग्रहण के प्रयोजन के लिये, नगर निगम उपभोक्ता को भिन्न–भिन्न प्रकार की दी गयी सेवाओं के लिये विभिन्न प्रयोक्ता प्रभारों को समेकित कर सकेगा।

शास्ति और प्रशमन 10. (1) इस नियमावली के उपबंधों का कोई उल्लघंन ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, और भंग के जारी रहने की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रूपये तक प्रत्येक ऐसे दिन के लिए हो सकता है, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन प्रथम भंग के लिए दोष सिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी धनराशि की वसूली पर किया जा सकता है जो अपराध के लिए नियत किये गये जुर्माने की आधी धनराशि से अन्यून और तीन चौथाई धनराशि से अनधिक हो।

आज्ञा से,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
NAGAR VIKAS ANUBHAG-9

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the, following English translation of notification no-1444/9-9-2012-376ja/11 dated 08 Aug 2012 for general information.

Notification

No-1444/9-9-2012-376ja/11
Lucknow, Dated-08 Aug, 2012

The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of powers under section 573-A and section 540 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959 (UP Act no-2 of 1959) with a view to levying user charges and regulating procedure and execution thereof is hereby published as required under sub section (2) of section 540 of the said Act for information of all concerned with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof.

Objections and suggestions, if any, with respect to the proposed rules should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv Nagar Vikas Anubhag-9, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow. Only such objections and suggestions will be considered as are received within one month from the date of pubication of this notification in the Gazette.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (LEVYING OF USER CHARGES AND REGULATION OF ITS PROCEDURE AND EXECUTION) RULES, 2012

Short title, extent and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Levying of User Chrarges and Regulation of its Procedure and Execution) Rules, 2012.

(2) They shall be applicable to all the Municipal Corporations of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Definitions

2. (1) In these rules, unless there is any thing repugnant in the subject or context:-

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

(b) "Consumer" means the person or resident who uses services provided by the Municipal Corporation.

(c) "Services" means the works, facilities and amenities provided by the Municipal Corporation under section 573-A of the Act.

(d) "User Charges" means the charges levied for specific services rendered or infrastructural facilities provided under the provisions of the Act by the Municipal Corporation.

(2) Words and expressions not defined in these Rules but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

Rationale of levying user charges

3. (a) to provide efficient services and to ensure effective recovery of costs thereof for sustainability of the services.

(b) to promote economy in use of services and to avoid wastage.

Application of user charges. 4. The user charges shall be levied on services mentioned under section 573-A of the Act or any other services related therewith.

Fixation and recovery of user charges. 5. (1) User Charges shall be calculated with a view to recover approximate total cost involved in providing the services.

(2) The rates of User Charges may be fixed from time to time by the Municipal Corporation.

(3) while fixing the User Charges, feasibility of cost recovery, which may vary with the type, quality and quantity of the services provided may also be taken care of.

(4) If necessary, the Municipal Corporations may classify the amenities and services into remunerative and non-cost recoverable categories for fixation of user charges on average basis so as to recover the total cost or agglomeration of the services.

Maintenance of records, Accounts, Maps and plans etc. 6. (1) all records, accounts, maps, plans in respect of assessment levying and collection of user charges shall be prepared and maintained in both paper and electronic form.

(2) The documents referred to in sub section (1) shall be kept in the concerned zone office as well as in the head office of the Municipal Corporation.

(3) Any officer authorized by the Municipal Commissioner in this behalf shall be the custodian of the records account, maps, plans, registers.

Recovery of User Charges 7. (1) Charges may be recovered under the provisions of chapter (xxi) and section 573-A of the Act.

(2) An amount not less than the amount collected as user charges under these rules shall be earmarked to meet the expenses on rendering those services.

Liability for payment of user chages 8. The payment of user charges within stipulated time by the consumer shall be obligatory.

Consolidation of user charges

9. For the purpose of assessing or levying or collecting user charges, the Municipal Corporation may consolidate various User charges for different kind of services rendered to the consumer.

Penalty and composition

10. (1) Any contravention of the provisions of these rules shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees, and in case of a continuing breach with fine which may extend to one hundred rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first breach.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) any offence punishable under these rules may be compounded by Municipal Commissioner or an officer authorized by him in this behalf on realization of the amount not less than half and not more than three fourth amount of the fine fixed for the offence.

By Order

(Pravir Kumar)
Pramukh Sachiv.